

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक: 722/न0पा0परि0/कर0वि0/2018

दिनांक: 09 नवंबर 2018

1. श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
3. श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
4. श्रीमति सताक्षी पुत्री श्री दीपचन्द शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
5. श्री सोमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
6. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
7. श्री नरेश पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
8. श्रीमति वन्दना पुत्री श्री ओमप्रकाश निवासी - म0नं0 137 गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।

नाम परिवर्तन नोटिस धारा 147(बी)

विषय:- नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147(बी) के अंतर्गत के सम्बन्ध में

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि मौहल्ला नन्दनगरी में भवन सं0 137 का पार्ट क0सं0 137 पर नगर पालिका परिषद के गृहकर अभिलेखों में श्रीमति राजदुलारी पत्नी श्री दीपचन्द का नाम दर्ज है। श्री वेदप्रकाश पुत्र स्व0 श्री दीपचन्द द्वारा उक्त भवन पर अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड वसियत आदि संलग्न किया गया है। श्री वेदप्रकाश पुत्र स्व0 श्री दीपचन्द के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2018 के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर भवन सं0-137 का पार्ट क0सं0 137 मौहल्ला नन्दनगरी पर पालिका गृहकर अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

अतः उपरोक्त नामांतरण के सम्बन्ध में इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर यदि आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात आपकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए गृहकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

अधिशायी/अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

प्रतिलिपि:-

1. श्री वेदप्रकाश पुत्र स्व0 श्री दीपचन्द निवासी - म0नं0 137, गली नं0 03, नन्दनगरी मोदीनगर।
2. श्री अंकित कुमार राजस्व निरीक्षक व श्री प्रकाश चन्द सम्पत्ति लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या 01 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद-विवाद अथवा सरकारी सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में कोई वाद विवाद/सरकारी सम्पत्ति पाये जाने पर समस्त आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. श्री अंकित गोयल को इस आशय के साथ प्रेषित की नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट www.nppmodinagar.com पर सूचना को अपलोड करें।

09-01-2019

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।